मेसर्स सेल (भिलाई स्टील प्लांट), ग्राम–छितापंड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया– 523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 31.07.2013 को ग्राम–छितापड़रिया, शासकीय हाईस्कूल प्रागंण, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09. 2006 के अंतर्गत् **मेसर्स सेल (भिलाई स्टील प्लांट) ग्राम–छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया– 523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. की स्थापना के लिए** भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 31.07.2013 को **ग्राम–छितापड़रिया, के शासकीय हाईस्कूल प्रागंण, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा** में श्री एस. के. शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता एवं बी. एस. ठाकुर, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं नवभारत में क्रमशः दिनांक 27.06.2013 एवं 28.06.2013 तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 28.06.2013 के माध्यम से सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ संबंधी प्रकाशन कार्य कराये गये। अपर कलेक्टर, श्री एस. के. शर्मा द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में उपरोक्त के संबंध में अवगत कराते हुये लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई में सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही संम्पन्न की जावेगी। यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित में प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर, जांजगीर–चांपा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा **मेसर्स सेल (भिलाई स्टील प्लांट), ग्राम–छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया–523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. की स्थापना** के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि को सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

मेसर्स सेल (भिलाई स्टील प्लांट), ग्राम–छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया–523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. की स्थापना के संबंध में जन सामान्य को श्री विष्णु पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण) द्वारा प्रस्तावित माईनिंग कार्यों से संभावित प्रदूषण एवं क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति पर जानकारी दी गई।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

अपर कलेक्टर द्वारा **प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया–523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. के स्थापना** के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा **प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया–523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. की स्थापना** के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां रखे। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **श्री मनीराम यादव, ग्राम– डूमरपारा, बाराद्वार** – सेल की खदान थी जाने अनजाने में या हम लोगों के भूल के कारण वह बंद हो गई जो पुनः प्रारंभ हो रही है। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ये माइंस चालू हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को माइंस खुलने से रोजगार मिलेगा। जहां तक पर्यावरण की असंतुलन की बात है तो बड़े–बड़े पॉवर प्लांट खुल रहे हैं उससे कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ है। थोड़ी देर के लिये ऐसा लगता है कि हम लोग सांस कैसे ले पायेंगे। इसकी तुलना में माईनिंग में कोई ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए खदान के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा । मेरा निवेदन है कि गांव के ग्रामीण लोगों को इलाज की सुविधा मिले, सेन्ट्रल स्कूल में दाखिला के लिए प्रतिशत निर्धारित किया जाये कि स्कूल में कितने लोगों को दाखिला मिलेगा और यहां के लोगों का इलाज सेक्टर 9 भिलाई में संभव हो, जो हो सके किया जाये। यहां के लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। आई.टी.आई खुलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, खदान खुलने का समर्थन करता हूँ।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

2. **श्री रामाधीन खूंटे, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम छितापड़रिया**— गांव की सरपंच, श्रीमती उमा कुमारी, ग्राम पंचायत छितापंडरिया ने लिखित में सेल को सुझाव पत्र दिया है। मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। **मेसर्स (भिलाई स्टील प्लांट) के द्वारा ग्राम—छितापड़रिया, तहसील—जैजैपुर, जिला जांजगीर—चांपा में प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया— 523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी. ए. के स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लोक सुनवाई के संबंध में ग्राम पंचायत अपना निम्न पक्ष रखता है:—**

1) इस्पात (डोलोमाईट) संयंत्र सेल की माईनिंग लीज सुरक्षित वनक्षेत्र एवं राजस्व वन परिक्षेत्र में है। वर्ष 1995 में ग्राम वन समिति का गठन हुआ है तब से आज तक ग्राम पंचायत छितापंडरिया के 200 से 300 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। ईंधन प्राप्त हो रहा है। इसी तरह राजस्व वन क्षेत्र में वर्ष 1929 से लगभग 191 परिवार काबिज है खेती करते आ रहे हैं किसी तरह अपनी जीविका चला रहें, मकान बनाकर रह रहे हैं। भिलाई संयंत्र सेल के द्वारा उक्त संबंधित (माईनिंग लीज) स्थानों पर माईनिंग किये जाने से संबंधित लोग बेरोजगार व बेघर हो जावेंगे।

   ग्राम पंचायत मांग करता है कि ग्राम छितापड़रिया की प्रत्येक घर को रोजगार एवं काम दिया जावे। इसी तरह राजस्व (वन) क्षेत्र में काबिज लोगों को भूमि व मकान का मुआवजा दिया जावे।

2) भिलाई इस्पात संयंत्र सेल द्वारा 2 मिलियन टन/वर्ष डोलोमाईट का उत्खनन करना प्रस्तावित है। इस अनुपात में अकुशल मजदूरों की संख्या नही के बराबर शून्य है, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है।

   मानव संसाधन अर्थात मैन पॉवर की उपलब्धता को देखते हुए ग्राम पंचायत मांग करता है कि 1560 से 2000 तक अकुशल मजदूर रखा जावे, वह पूर्ण रूप से विभागीय हो। ठेका मजदूर प्रथा समाप्त किया जाये।

3) विधवा, निर्धन बेसहारा (18—50 वर्ष) महिलाओं को भी परियोजना में कार्य पर रखा जावे।

4) जल संवर्धन भूमिगत जल स्तर दिनों—दिन गिरता जा रहा है माईनिंग कार्य होने से यह और भी प्रभावित होगा। इसलिये पंचायत मांग करता है कि बड़े तालाबों का निर्माण कराकर पानी भरा जावे।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

5) माईनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, क्रशिंग व विस्फोटक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली प्रदूषित वातावरण रोकने के लिए लाखों की संख्या में पौधारोपण किया जावे।

6) माईनिंग होने से खनिज पट्टा क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले जड़ी बूटियां काफी मात्रा प्रभावित होंगी, क्षेत्र क्षतिग्रस्त होगा।

ग्राम पंचायत मांग करता है कि ग्राम छितापड़रिया में जड़ी बूटि की खेती भिलाई संयंत्र सेल के द्वारा किया जावे। जमीन उपजाऊ है।

7) चिकित्सा कामगारों के अलावा निःशक्त कमजोर वृद्धजनों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदाय किया जाये, उच्च स्तर चिकित्सा संस्था की स्थापना छितापंड़रिया में हो।

8) कामगारों के बच्चों के अतिरिक्त निर्धन कमजोर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिया जावे। उच्च स्तर की शिक्षण संस्थान की स्थापना हो।

9) उत्खनन के दौरान होने वाले विस्फोटक से ग्राम छितापड़रिया का आवागमन प्रभावित न हो। विशेष ध्यान रखा जावे।

10) प्रधानमंत्री सड़क मार्ग प्रभावित न हो, मुख्य मार्ग से ग्राम–छितापड़रिया (अन्तिम छोर तक) एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। भिलाई संयंत्र सेल उक्त मार्ग का हस्तक्षेप न करें। भारी वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।

11) ग्राम पंचायत को जानकारी उपलब्ध कराना –चूंकि माईनिंग लीज एरिया (खनि पट्टा क्षेत्र) पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, अतः पंचायत की मांग है कि भर्ती नियुक्ति, विमुक्ति अन्य पर्यावरण, निर्माण कार्य की जानकारी कार्य के पूर्व ग्राम पंचायत को जानकारी उपलब्ध करावें। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है।

12) भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) को ग्राम छितापंड़रिया से डोलोमाईट आपूर्ति किया जाना है। सेल के लिये छितापड़रिया 'पोषक' के रूप स्थापित होने जा रहा है। किन्तु कहीं भी छितापड़रिया का नाम नहीं है। तो बाराद्वार इस्पात डोलोमाईट क्वारी जो पूर्ण रूप से गलत है मैं इस बात से काफी दुःखी हूँ, आहत हुई हूँ मैं चाहती हूँ ग्राम छितापंड़रिया को समूचा छत्तीसगढ़ जाने भारत में डोलोमाईट उत्पादन करने वाला ग्राम के रूप में पहचान बनें। माननीय कलेक्टर, महोदय, जिला–जांजगीर–चांपा, प्रबंध तंत्र भिलाई संयंत्र से निवेदन करती हूँ कि

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

ग्राम–छितापंड़रिया इस्पात् डोलोमाईट क्वारी, ग्राम पंचायत छितापड़रिया, तह. –जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ राज्य लिखा जावे। मैं उमा कुमारी यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत छितापड़रिया, आपको विश्वास दिलाती हूॅ कि उक्त महत्वपूर्ण विषयों को अमल में लावें जाने पर आपका यह महत्वकांक्षी परियोजना निर्बाध्य रूप से प्रगति दर प्रगति करेगा।

3. **श्री प्यारेलाल दिवाकर, ग्राम–बाराद्वार बस्ती–** छत्तीसगढ़ के मजदूर बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। बंधुआ मजदूर संघ द्वारा हम अपने मजदूरों को दूसरे राज्य से 2800 – 2900 रूपये देकर छुड़ाकर लाते हैं। जिला जांजगीर–चांपा में जो भी फैक्ट्री लग रहा है। जिसमें बाहर के मजदूरों को बुलाये जाते हैं। यहां के मजदूरों को काम नहीं दिया जाता गरीब लोगों का कोई नहीं सुनता है। बाहर राज्य के आदमी को काम न दे । हमारें छत्तीसगढ के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही रोजगार दिया जावे। हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगना चाहिए छत्तीसगढ़ हरा है धान का कटोरा है। यहां हमारे भाई बहनों को रोजी रोटी बराबर मिलना चाहिए। यहां हरेक घर के एक व्यक्ति को छोटी मोटी नौकरी मिलना चाहिए।

4. **श्री तीरथराम लहरे, ग्राम बाराद्वार बस्ती–** मैं प्राईवेट कर्मचारी जो कि मोनेट इस्पात में लगभग 20 से काम कर रहा हूॅ। प्राईवेट कर्मचारी का क्या हाल हो रहा है मैं अच्छी तरह से जान रहा हूॅ। ये प्लांट कौन सा है और यहां क्या खुलेगा, इस प्लांट में क्या बनेगी मैं बताना चाहता हूॅ वास्तव में यहां भिलाई स्टील प्लांट खुलेगा कि वह अपनी निजि स्वार्थ के लिए यहां सेल संयंत्र का खदान खुलेगा कि नहीं। ये मेरा निजि मामला है प्लांट खुलने से हमें कोई फायदा नही है। इस प्लांट का हम विरोध करते हैं प्लांट खुलना ही नहीं चाहिए हमारे एरिया में। हमारे छत्तीसगढ़ सैकड़ों हजारों प्लांट खुल चुके है। इसमें किसी की भलाई नहीं होती दुःखी के सिवाय। चाहे निजि मामला, जमीन के

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

मामला, नौकरी का मामला हो सभी दुःखी हैं। इसमे वे खुश रहते है जों बड़ा अधिकारी और नेता हैं। आज नेता विधायक को देखते हैं तो वे कोई काम के नहीं है। उनका कोई सहयोग नहीं होता है। प्लांट खुलने में जन धन की हानि होगी, पर्यावरण आसपास का वातावरण प्रभावित होगा। यहां के लोगों में बिमारी बढ़ेगी, ऐसा माहौल में स्वयं मुख्यमंत्री को यहां आना चाहिए। प्लांट प्रबंधक को यहां आना चाहिए और स्टॉम्प में हस्ताक्षर करके हमारे आसपास के एरिया को कलेक्टर महोदय के पास छोड़ दे और उसकी कॉपी सरपंच सचिव के पास लिखित रूप में होना चाहिए। प्लांट अधिकारी और सरकार के बीच बैठकर जो भी फैसला होता है जनता के हित में बात विमर्श करने के बाद में होना चाहिए। आज तक छत्तीसगढ़ में जितने भी प्लांट खुले हैं वह गरीब जनता हित में नहीं खुला है। मैं सोचता हूँ कि किसी एक को फायदा हुआ होगा। 75 प्रतिशत जनता दुःखी रहते हैं प्लांट के खुलने से । यहां पर जो भी फैसला होगा कंपनी मालिक और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में अच्छे से लिखित रूप होना चाहिए। आसपास के गाव वालों बुजुर्ग और नव युवक के बीच बैठकर के आपस में विचार विमर्श करके निर्णय होना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए मेरे माईयों । प्लांट खोलने में हमारा कोई विरोध नहीं है। सही रूप से फैसला होना चाहिए। मैं सरपंच और सचिव से निवेदन करता हूँ कि अपनी निजि स्वार्थों के लिए फैसला मत करना। आसपास के गांव बस्ती के जनता के बीच में विचार विमर्श करके फैसला लेवें। आसपास के सभी 10 वीं और 12 वीं पास वाले प्रत्येक लोगों को नौकरी देनी होगी और भुगतान 10000 रूपये प्रतिमाह, आई.टी.आई ट्रेनिंग वालों को 20000 रूपये प्रतिमाह डिप्लोमा धारक को 15000 रूपये प्रतिमाह और ट्रेनिंग के पश्चात् 30000 रूपये प्रतिमाह तनख्वाह देना होगा मालिक को। बी. ई. धारक को ट्रेनिंग के दौरान 20000 रूपये, व ट्रेनिंग के पश्चात्

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

50000 रूपये प्रतिमाह तनख्वाह देनी होगी, यह शासन का नियम है। प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए। आसपास के ग्रामों को गोदनामा लेना चाहिए कंपनी के अधिकारी द्वारा। हर घर में एक कर्मचारी को नौकरी देनी पेड़ेगी। यहां पर अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए। यहां अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल का निर्माण होना चाहिए जैसा कि जांजगीर–चांपा जिले एवं छत्तीसगढ़ में कहीं न हो। 20 प्रतिशत आसपास के गांव के कर्मचारी होना चाहिए तथा 20 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़, 20 प्रतिशत मध्यप्रदेश के होना चाहिए 20 प्रतिशत उड़ीसा बंगाल का होना चाहिए 20 प्रतिशत बिहार, यू.पी. व अन्य राज्य के कर्मचारी होना चाहिए। जिससे कि कोई दंगाफसाद न हो। इन सभी के साथ प्लांट खुलने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय आपसे विनम्र मैं निवेदन करता हूँ कि इन सब की आपके पास होना चाहिए। निगरानी आपके हाथ में होना चाहिए। और जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्लांट खुल रहे है और कौन से गांव से कितने कर्मचारी रख रहा है। मैं तो कहता हूं कि यहां आसपास के लगभग 6–7 गांव होगी। मेरे गांव बाराद्वार बस्ती की जमीन लगभग 2200 एकड़ रकबा बैगीन बैगा तक है। कुछ चारागाह में पंडरिया बस्ती के भाई लोग कब्जा कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इसमें उस जमीन के फैसला कर दो, मेरे गांव की जमीन है उस जमीन को निकाल दो। उसके बाद प्लांट खोली जाये।

5. **श्री गणेश प्रसाद यादव, ग्राम– डूमरपारा**– भिलाई स्टील प्लांट जो छितापंड़रिया में प्रस्तावित जो चालू होने वाला है इस संबंध में मै कहना चाहता हूं जो बाराद्वार क्षेत्र में सन 1917 से 1986 तक करीब 8 खदाने बंद एवं चालू हुई है। सन 1972 में राउरकेला स्टील प्लांट की खदाने चालू किया गया था और 14 जून 1983 को श्रमिकों की कमी और हड़ताल के कारण खम्हरिया खदान में अनिश्चित कालीन तालाबंदी की घोषण की गई। और श्रमिक संघों की ओर से रचनात्मक सहयोग

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

नहीं मिलने के अभाव में आज तक खदान बंद पड़ी है। इस खदान के बंद हो जाने से कई हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं । आज भिलाई स्टील प्लांट सेल के अधिकारियों के प्रयास से पुनः रोजगार के अवसर मिलने जा रहा है। इस खदान के चालू होने इस क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों जैसे छितापंड़रिया, बस्ती बाराद्वार, डेरागढ़, डूमरपारा, रायपुरा, भेलाई, दर्राभाठा अन्य गांवों को गोद में लिया जावे भिलाई स्टील प्लांट के तरफ से। जिससे ये पंचायत पिछड़ी हुई है उनको विकास की गति मिल सके। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा आई.टी.आई खोला जावे क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को ट्रेनिंग दें, जिनसे उनको रोजगार मिल सके। स्कूल का निर्माण किया जाये जिससे गरीब स्तर के बच्चों को शिक्षा मिल सके। अस्पताल का निर्माण किया जाये और बाराद्वार क्षेत्र के जैजैपुर एवं सक्ती, विधानसभा मालखरौदा क्षेत्र के जनता, मरीजों का इलाज किया जाये। इस क्षेत्र के जनता को लाभ मिल सके योग्यता के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट में रोजगार दिया जावे। मानव संसाधन के संबंध में उल्लेख है कंपनी के सारांश पत्रिका में कंपनी में मौजूदा कर्मचारी को ही रोजगार दिया जावेगा तो इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार कहां मिलेगा। जैसे पत्रिका में लिखा गया है उस आधार से मैं बोलना चाह रहा हूॅ कि जो इस पत्रिका में लिखी गई है यह बात सत्य है तो इस क्षेत्र के लोगों को कहां से रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के सभी को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जावे। आज इस जन सुनवाई का समर्थन करते हुए चालू करने का निवेदन करता हूॅ और साथ ही इस क्षेत्र के जनताओं से भी निवेदन करता हूॅ कि भिलाई स्टील खदान को प्रांरभ करने में अपना सहयोग दे। जिससे उनको रोजगार मिल सके।

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.smartpdfcreator.com

6. **श्री गौतम दास महंत, कांग्रेस ब्लॉक समिति, ग्राम–बेल्हाडीह** –यहां भिलाई स्टील प्लांट आयेगा तो विस्थापितों का पुनर्वास होना चाहिए। यहां खदान एरिया में बहुत लोग अपना घर बनाये हैं। प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितो का पुनर्वास होना चाहिए। उनकों रोजी मजदूरी मिलना चाहिए और जो वहां प्रभावित होंगे विस्थापित होंगे उनको आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। जो 10 प्रभावित ग्राम हैं वहां के युवकों को रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए न कि अपने पुराने कर्मचारी को। ज्यादा से ज्यादा यहां के कुशल–अकुशल श्रमिक हैं यहां पर उनको लाभ मिलना चाहिए। सामुदायिक विकास के कार्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों का सम्पर्णू भागीदारी होना चाहिए। जो सी.एस.आर. है आपका उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों का भागीदारी होना बहुत जरूरी है। प्रभावित ग्राम के गरीब स्तर के बच्चे को प्राथमिक से तकनीकी शिक्षा तक उनको वित्तीय सहायता के लिए आपके पास सम्पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। आपके द्वारा यहां के स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार देंगे। आपका रोजगार देने का सिस्टम एवं कल्चर क्या हैं। कितने लोगों को और कैसे रोजगार देंगे। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। मैं इसके समर्थन में हूँ यहां आपका भिलाई स्टील प्लांट का खदान यहां आना चाहिए किन्तु मेरे इस बात को ध्यान में रखें एवं यहां के स्थानीय लोगों को इसका समुचित लाभ जरूर देवें।

7. **श्री अनिल शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त खदान मजदूर संघ प्रतिनिधि/क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता, सक्ती** – सेल के द्वारा जो आगामी खुलने वाले डोलोमाईट खदान के लिए जो पर्यावरणीय जन सुनवाई हो रही है। इसमें मैं अपना आपत्ति दर्ज कराते हुए सुझाव देता हूँ और उम्मीद है कि इस आपत्ति का अगर कुछ निराकरण होता है और ये खदान सरकारी कारखाना बनते देर है इसी भिलाई स्टील प्लांट का दल्लीराजहरा में खदान है। वहां पूरा दल्लीराजहरा लाल

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

हो गई है एक बूंद जल नहीं छिड़का जाता है। यहां छितापंड्रिया से अगर ये डोलोमाईट सड़क मार्ग से ले जाने पर जो धूल एवं धुंआ उड़ेंगे तो इसके लिए हमारे लिए क्या उपाय किया जायेगा। यहां पर इस पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों के पास मेरे द्वारा दर्ज आपत्ति का निराकरण हो, इसके बाद ये जन सुनवाई पूर्ण समझे जाये। सबसे पहली बात ये है कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो डोलोमाईट चाहिए तो ये खदान कोई छोटे–मोटे खदान नहीं बल्कि लगभग 20 से 50 एकड़ में खुलने वाली खदान है। जिसमें माईनिंग के दौरान हैवी ब्लास्टिंग होगी उस ब्लास्टिंग बारूद में क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर ये बारूद हैवी ब्लास्टिंग होगी उसमें बारूद से निकलने वाले सल्फर डाई ऑक्साईड जो जिसके लिए भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। बारूद से इतना सल्फर डाईऑक्साईड निकलेगी जो इस क्षेत्र को प्रभावित करेगी, पेड़ पौधे नुकसान होंगे। लोगों के फेफड़े, सांस नली आदि को तो नुकसान करेगी ही साथ ही आसपास क्षेत्र में जो जीव जन्तु है, औषधि वनस्पति है इन सभी को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जहरीला गैस भी निकलता है उससे भी नुकसान होगा। इस भिलाई स्टील प्लांट के जो हिर्री में जो खदान है वहां जाकर देखिए क्या स्थिति है और माइंस के आसपास जो स्वयं वृक्षारोपण किये थे आज वहां के कालोनी में भी ठीक से नहीं है। तो इन सभी आपत्तियों का निराकरण होना चाहिए। इससें हमें रोजगार तो मिलेगी ही जिसके लिए कोई बात नहीं है, हमें रोजगार मिलना ही चाहिए। इसमें स्वास्थ भी अच्छा होना चाहिए। आसपास के जीव जन्तु एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। ये सभी प्रभाव रूकेंगे तभी इस पर्यावरण जन सुनवाई को कोई मतलब होता है। हमे ये बताया जाता है कि सामुदायिक विकास करेंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के द्वारा हमें पता

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

चला है और उसके द्वारा हमे प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रभावित होने वाली बात नहीं होना चाहिए। यहां आसपास के क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रदूषण से प्रभावित होगी। इसका ठीक से निराकरण होना चाहिए। खदान से डोलोमाईट निकालने के लिए अत्यधिक गहराई तक खोदा जाता है उसमें से निकलने वाले पानी नदी के द्वारा समुद्र में जा मिलेगी। जिससे हमें पेय जल संकट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वहां टेंकर से पानी पहुंचाया जाता है। हैवी ब्लास्टिंग होने से आसपास के गांव के पक्के मकान भी गिर जाते हैं तथा स्कूल, अस्पताल आदि के दीवारों पर दरार पड़ जाते हैं। अतः ये सब पर्यावरण संबंधित हमारी आपत्तियों का निराकरण होना चाहिए। यहां जो जन जीवन बसे हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनके निवास स्थान कितने दूरी पर रहना चाहिए। इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। खदान के खुलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। खदान जरूर खुलना चाहिए और यहां क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। सेल के अन्य खदान हैं वहां जाकर आप जांच कर सकते हैं। पर्यावरण खराब होने के कारण लोगों के फेफड़े खराब होते है। तो क्या यहां छीतापंडरिया में वैसा नहीं होगा ? इन बातों का निराकरण होना चाहिए, तब ये खदान खुले। आसपास के क्षेत्र वासियों को इस प्रकार की बिमारी नहीं होगी, तभी ये खदान खुलेगी। भिलाई स्टील प्लांट के रेगुलर कर्मचारियों को दवाई एवं इलाज कर दी जायेगी। लेकिन आसपास के ग्रामीणजनों इस प्रकार की बिमारी होगी उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है एवं क्या मुआवजा होगा। यहां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लान्टेशन किया जाना है तो कितने पौधे लगाया गया है। रिजर्व फारेस्ट एरिया में हम आते हैं। यहां वन समिति के द्वारा सागौन का पौधारोपण किया गया है। यहां जो वन के क्षतिपूर्ति एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए यहां जो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा पौधारोपण होना है कितना होना है बताये। लगभग जमीन 523.35

This document was created using Smart PDF Creator
To remove the message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

हेक्टेयर में वृक्षारोपण करके पर्यावरण सुधारी जानी चाहिए। यह जो परियोजना है उससे पौधों का नुकसान होगा। सड़क के किनारे कोई पौधा विकसित नहीं होता है इन सब का निराकरण करके इस खदान को खोला जावे। इस खदान का मैं समर्थन करता हूँ। जहां तक रोजगार का सवाल है तो ये सब आपत्ति के बाद यहां के हर घर के व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। ये इलाका खदान का है यहां के मजदूर को खदान में काम मिलना चाहिए तथा उनके इलाज के लिए चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए इसके बाद शिक्षा हेतु अच्छे स्कूल का निर्माण किया जावे, जिससे यहां के लोगों के बच्चे पढ़ लिखकर इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। अगर ये सब भिलाई स्टील प्लांट कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात हैं। मैं यह चाहता हूँ कि सामुदायिक विकास का जो काम है छितापंड़रिया तक सीमित न रहे उक्त कार्य उस क्षेत्र में 10 कि.मी. के दायरे में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और चिकित्सा होना चाहिए। खदान के लागत के अनुसार 2 प्रतिशत विकास कार्य में खर्च होना चाहिए। खर्च न होने पर उसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह पर्यावरण जन सुनवाई हो रहा है तो लागत के अनुसार 2 प्रतिशत सी.एस.आर. के तहत् कहॉ खर्च हुआ है ये सारी जानकारी देनी चाहिए। हमारी आपत्ति के बाद भी अगर दो तीन माह बाद पर्यावरण स्वीकृति होती है उसकी जांच होनी चाहिए।

8. **श्री हेमन्त कुमार यादव, सरपंच, ग्राम पंचयात छितापंडरिया** – हमारा ग्राम छितापंड़रिया बहुत ही ट्राइबल क्षेत्र माना जाता है और बहुत ही गरीब गांव है। आदमी रोजी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। सरपंच महोदिया गावं में छुट–पुट रोजगार गारंटी के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। हमारे गांव में ये जो प्लांट खुल रहा हैं उसके लीज एरिया में हमारे ग्राम के गरीब मजदूर भाई काफी लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं मकान बनाये हैं।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

माइंस के खुलने से वे बिल्कुल अव्यवस्थित हो जायेंगे एवं घर से बेघर हो जायेंगे। निवेदन करता हूॅ कि माइंस यहां खुल रहा है उन लोगों के पुनर्वास, स्थापना के लिए मुआवजा दिया जाये। उनके द्वारा खेत खलिहान बनाये गये हैं जिससे वे रोजी रोटी चला रहे हैं उसके लिए भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाये। हमारे गांव में खोजने पर एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा, क्योंकि अति ट्राईबल क्षेत्र है ये गांव। बच्चे बिल्कुल पढ़ाई के अभाव में थे अभी 3 वर्ष की बड़ी मेहनत के बाद यहां हाई स्कूल संचालित है उसके बाद कुछ बच्चे 10 वीं एवं 12 वीं एवं कुछ बच्चे बाहर जाकर कालेज किये हैं। भिलाई स्टील प्लांट हमारे गांव में माईनिंग करेगी यहां के लोगों में आस्था जग गई है कि हमको भी रोजी रोटी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, जिससे हमारी भविष्य उज्वल होगी ऐसा आशा लगाये ग्रामवासी बैठे हुए हैं। पर्यावरण का तो नुकसान होगी ही ये तो तय है। वन समिति यहां बनी है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे को बड़ा किया गया है उसमें खदान खुलेगी तो पर्यावरण का 100 प्रतिशत नुकसान होगी । उसकी बलिदान देने के लिए तैयार है हम ग्रामवासी, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम लोगों को नौकरी व मुआवजा मिलेगी तब। हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। गॉव में आने का रास्ता है जाने का रास्ता नहीं है पास में लगा खम्हरिया गांव मुश्किल से 2 कि.मी. का रास्ता है कुछ नीजि जमीन है सरकारी जमीन में सरपंच महोदया द्वारा रोजगार गारंटी के माध्यम से रोड बना दिया है। प्लांट के माध्यम से वो बात को रखता हूॅ कि प्लांट खुलेगा तो रोड को खम्हरिया गांव तक जोड़ा जावेगा उसका मुआवजा प्लांट वाले देगें। गॉव में 10वीं हाई स्कूल है हायर सेकेन्डरी स्कूल होना चाहिए। ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए। बच्चे उसमें पढ़े निःशुल्क पढ़ाई ट्रेनिंग रोजी रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। गांव की समस्या से अवगत करा दिया हूॅ गांव में सबसे बड़ी समस्या है तो नौकरी की। यहॅा के

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

गांव के स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दे। और बड़े बुजुर्ग और वृद्धों को पेंशन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो।

9. **श्री कन्हैया लाल सिदार, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत छितापंड़रिया**– आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज हमारे उज्ज्वल भविष्य को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका मैं समर्थन करता हूॅ आज हमारे ग्राम छितापंड़रिया में भिलाई स्टील प्लांट आ रहा है आज तक यहां के पूरी जमीन को बेजा कब्जा किया गया है। तब मै सरपंच था गांव की विकास के लिए हम लोग छोटे–छोटे टुकड़े के रूप में बांट रहे हैं। हमारे आने वाले भविष्य एवं बाल बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगी । उनका भविष्य कैसे बनेगा। भिलाई स्टील प्लांट के यहां आने से मुझे खुशी है। मैं उसका समर्थन करता हूॅ और पूर्व वक्ता द्वारा कहें अनुसार किसी प्रकार क्षति न हों, गांव वाले चाहते हैं किसी प्रकार की नुकसान न हों। हमारा गांव यह जानना चाहता है कि भिलाई स्टील प्लांट की लीज एरिया कहा से कहां तक है। इसकी भी हमें जानकारी चाहिए। क्योंकि हमारे गांव छितापंड़रिया के वन समति में पदस्थ अध्यक्ष एवं हमने एक–एक लाठी, डंडा खाकर इस जमीन को सुरक्षित रखा है। हमने वन समिति एवं कोषाबाड़ी का निर्माण किया और आगे लाये और उसको सुरक्षित रखे हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो आज हमारे छितापंडरिया में आने वाला हैं मैं उसका स्वागत करता हूॅ। हमारे भविष्य का ध्यान रखते हुए, यहां पर्यावरण को कोई नुकसान न हो ऐसा व्यवस्था बनाये। मैं चाहुंगा कि हमारे इस ग्राम में जितने भी बेरोजगार भाई है जो यहां के जंगल जमीन को सुरक्षित रखे हैं आज उनको उनका प्रतिफल मिलना चाहिए। वास्तव में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया जावे। ग्राम के हरिजन एवं आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाये। इसका विशेष ध्यान रखें।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

10. **श्री जगेश राय, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम–बाराद्वार–** यहां सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ती है पर्यावरण पर और पर्यावरण संबंधित जन सुनवाई जो हो रही है लेकिन उससे भी बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जो यहां खदान खुल रही है उसमें स्थानीय जनता को रोजगार मिलेगी ये भरोसा करते हैं। इसके साथ और भी जो जन हित में कार्य किया जाता है उस बात को सामने रखना, बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ताकि यहां जो उपस्थित जनता हैं उनको ज्ञात होना चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आसपास के युवाओं का न हीं बल्कि बुजुर्ग भी है जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। उससे सबसे बड़ी समस्या का निदान होगा। खदान के खुलने के बाद बाहर से पत्थर तोड़ने नहीं आएंगे लोग यही के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां के लोग जिस कार्य को करने में एक्सपर्ट है उन्हें उनके योग्यता, अनुभव के आधार पर रोजगार मिलेगा जैसे यहां के महिला जो पत्ते तोड़ने में एक्सपर्ट है आदि। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा बड़े पैमाने लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए लोगों को रोजगार में प्रथमिकता दें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान रखते हुए खदान शुरू करें। मेरा समर्थन है।

11. **श्री अमृत सेवक, ग्राम खम्हरिया–** आज आधा घंटा पहले मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट द्वारा वीडियोग्राफी में कुछ दिखाया गया था। जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल आदि का उल्लेख किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत खम्हरिया में लगभग 70 वर्षों से जो खदान चलाया जा रहा है। जिसमें न ही पेयजल, न ही स्वास्थ्य और न ही सड़क का व्यवस्था कराया गया है। जबकि शासन एवं खदान संचालकों द्वारा अनुबंध लिखा गया है जिसमें खदान संचालकों को होने वाले लाभ से 5 प्रतिशत राशि ग्राम विकास के लिए दिया जायेगा और 5 प्रतिशत राशि पर्यावरण विभाग के लिए दिया जावेगा। लेकिन आज तक ग्राम पंचायत खम्हरिया

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

में किसी प्रकार के मांग को पूरा नहीं किया गया है। और न ही किसी प्रकार का ग्राम विकास किया गया है। कंपनी वाले इस प्रकार के अनुबंध करते तो है लेकिन किसी भी प्रकार का ग्रामवासियों को इसका लाभ नहीं मिलता जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में 12 टन से अधिक माल वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। परन्तु अभी उस संबंध में किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत खम्हरिया में खदान संचालकों द्वारा 25 टन से भी अधिक भारी मालवाहनों का आवागमन किया जा रहा है। जिससे आम नागरिक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रशासन एवं खदान संचालकों के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। अतः मेरा प्रशासन से निवेदन है उक्त ग्रामीण समस्या को देखते हुए पहले उन समस्याओं का समाधान किया जाये।

12. **श्री अरविन्द कुमार, ग्राम–बाराद्वार**– मैं पर्यावरण संबंधित ओपनकास्ट माईन के संबंध में बात रखना चाहता हूं कि पर्यावरण पांच तत्वों से मिल कर बना है। जीव जन्तु, पेड़, पौधे, जल, वायु और जमीन आदि मिलकर आपस में पर्यावरण का निर्माण करते हैं। खदान खुलने से इन सब में प्रभाव पड़ेगा जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण होगा तो समाज में इफेक्ट पड़ेगा, इकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ेगा इस प्रकार पर्यावरण प्रभावित होगा। उसके कुछ फायदे भी हैं जैसे कि डेवलपमेंट और अधिक होगा वाटर सप्लाई होगा, एरिगेशन होगा, एजुकेशन होगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स रोड, रेल्वे, ट्रांसपोर्ट आदि।

13. **श्री कैलाश चौहान, ग्राम–छितापंडरिया**– यहां पत्थर उत्खनन का कार्य करने जा रहे हैं इसकी लीज एरिया कहां से कहां तक है। हमे बताया गया है कि यहां 1200 से 1300 एकड़ के आसपास में उत्खनन किया जाना है। मुझे ये जानकारियां इसलिए चाहिए क्यों कि उस भूमि में यहां बहुत से मकान है,

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

किसानों की कृषि भूमि है बहुत से आदमी का मकान है। उस जमीन में भिलाई स्टील प्लांट की खदान खुलेगी और मकान को तोड़ा जावेगा, तो उनका क्या होगा वे कहां जायेंगे। उनकी क्या व्यवस्था की गई है। मुझे यह जानकारी चाहिए।

14. **श्री राधा मोहन राय, ग्राम–बाराद्वार–** मैं प्रदूषण के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा और प्रदूषण कैसा फैल रहा है यहां देख लें यहां आ के कि 25 – 25 टन के भारी ट्रकों का आवागमन हो रहा है। फिर भी प्रशासन के लोग सिर्फ देख रहे हैं। सब जानते हैं प्रदूषण जो है ग्राम से लेकर शहर तक फैला हुआ है। प्रदूषण के अधिकारी आते है और किसानों को पेड़ दिखाते है। जहां कितने पेड़ खराब हुए हैं चल कर देख लें। हम लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला यहां। मैं यहां बोल रहा हूँ कि आप लोग संगठन बनाके रखिए। पहले यहीं पर इसी माईन में हमारे मजदूर काम करते थे जो बैठे हैं यहां पर उनको उनकी पेमेंट नहीं मिला और फिर खदान चालू हो रहा है उनके साथ कितना शोषण होगा। प्रशासन कोई हिसाब नहीं दे पायेगा उसका। प्रदूषण फैलेगा, बरबादी होगी, काम चलेगा और शासन सबकुछ देखते रह जायेगी।

15. **श्री दीपक दुबे, चांपा–** लोगों को पुरानी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यहां होने वाले प्रदूषण से कोसाबाड़ी एवं आसपास के फसल नष्ट हो रहे है। हम काफी समय से इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे है। अब मैं पर्यावरण स्वीकृति के विषय में अपना पक्ष रखना चाहुंगा । जहां पे आप खदान खोलने जा रहे हैं 2200 एकड़ जमीन वन भूमि है। यहां वन क्षेत्र जहां अनेक प्रकार जीव जन्तु रहते है। आज प्रकृति की देन है कि जिस जगह पर खड़े हैं वह भूमि असुक्षित है और यहां अनेक प्रकार के जीव जन्तु विचरण करते है इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही यह वन भूमि अनेक प्रकार के औषधियुक्त फल फूल से परिपूर्ण

This document was created using Smart PDF Creator
To remove the message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

व सम्पन्न है। यहां गांव के आसपास के लोग जो यहां पर बैठे हैं उन सबको ज्ञात है कि इस वन भूमि में कितना औषधि का पेड़ पौधे हैं। यहां पर खदान खोल रहे है हम यहां असमंजस में है कि जहां आप अपना प्रोजेक्ट लगायेंगे वह 1300 एकड़ जमीन किस भू–भाग का है। क्या वह किसानो का जमीन है, गांव का चारागाह भूमि है, वह वन भूमि है या हमारे गांव की भूमि है। ग्राम छितापंड़रिया जो कि इस खदान से लगा हुआ गांव है। तो मैं इसके खिलाफ में कहुंगा क्यों कि आप यहां ये खदान खोल रहे हैं। हमारे गांव के खेती की रकबा कम हो गई है और आसपास की फसल नष्ट हो गई। तो फिर ग्राम छितापंड़रिया में आप किस अधिकार से और किस जमीन पर यह प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। हमारे लिये आपने क्या व्यवस्था एवं हमारे स्वास्थ्य हेतु क्या कदम उठाए जाने का निर्णय लिये हैं। हमारे बेरोजगार भाईयों को 1940 की तरह पत्थर तोड़वायेंगे या डॉक्टर, इंजीयर या मैकेनिकल डिप्लोमा धारी बनायेंगे हमें बताईये। हमारे 4 ग्रामवासी पहले पत्थर तोड़ते थे। किन्तु आज हम लोग 2013 में जी रहे हैं 1960 में नहीं। आज हमारे नवयुवक पत्थर नहीं तोड़ेंगे। यहां के लोग आपके मशीन में, डिपार्टमेंट में इंजीयर होंगे ये ऐसा वादा करें व्यवस्था करें। आज आप यहां पर चारागाह भूमि में अपना प्रोजेक्ट लगायेंगे तो हमारे मवेशी हैं 4 गावं के यहां हर घर में 4 से 5 मवेशी है। आज जो जमीन है वन भूमि वहां इनके पशु मवेशी एवं स्वयं की निस्तार भूमि है। क्या आप इसे अधिकृत करेंगे या अन्य 1300 एकड़ जमीन एकत्रित करेंगे। इसका आप खुलासा करें। साथ ही साथ मेरे युवा भाईयों के लिए आप क्या करेंगे और हम इस पर्यावरण स्वीकृति की पूरी विरोध करते हैं। इससे हमारे 4 ग्रामों के कृषि भूमि नष्ट हो जावेंगे। यदि भारत सरकार अपनी भिलाई स्टील प्लांट की प्रोजेक्ट को खोलेगी यहां के जमीन में पत्थर उत्खनन करेंगे तो यहां पहले आप यह बात रखिए कि आपके क्या प्रोजेक्ट है आप हमारे

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

आसपास के गांव के लोगों के हित के बारे में क्या क्या सोचे हैं। इनके हित के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी। कल अगर हमारी जमीन का नुकसान होता है। तो क्या हमारे जमीन के मुआवजा का निर्धारण करेंगे। आपके प्लांट से अगर हमारी फसल नष्ट होगी तो उसका मुआवजा देंगे तो इसकी आप घोषणा करें। हम विरोध करते है कि हम अपनी इस वन जन्य भूमि में किसी प्रकार का कोई खदान या उद्योग नहीं चलने देंगे।

16. **श्री रेशम लाल चौहान, ग्राम पंचायत छतापड़रिया**— मैं प्रोजेक्ट अधिकारी से कहुंगा कि जो अब यहां पे माइंस ला रहे हैं यहां पे हमारे रोजगार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजी देंना चाहिए। उसमें शासकीय नौकरी हो जैसे आपके प्लांट का है। पहले हमे ये चाहिए कि रोजगार देना चाहिए।

17. **श्री बी. एस. बनाफर, ग्राम पंचायत—ठठारी**— प्लांट खुलने का कार्यक्रम है वो खुलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आज हमारे गांव के लोग यहां अपना विचार रखे है कि ये प्लांट खुले लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर। मेरा इस गांव से बचपन से लगाव रहा है। यहां के लोग बहुत ही सीधे साधे एवं भोले भाले हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। मैं चाहूंगा चूंकि इस गांव में शिक्षा का अभाव रहा है और सौभाग्य की बात है विगत 2—3 वर्षों से यहां हाई स्कूल की स्थापना हुई है उसमें लोग लाभ उठा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ लिख करके निकल रहे है। उनके लिए उनकी योग्यतानुसार यहां पर रोजगार मिलना चाहिए। यहां के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर यहां पर नौकरी की तत्काल व्यवस्था करें उसके बाद यहां पर प्लांट खुले ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। यहां के लोग बहुत अच्छे से सुझाव दिये कि यहां पर हॉस्पिटल खुले अच्छे से संचालन हो । मैं चाहूंगा कि यहां पर तत्काल अच्छी व्यवस्था करावें ताकि यहां की जनता उसका लाभ ले सके। जो ग्राम अश्रित होता है आपके प्लांट से तो प्लांट प्रबंधन द्वारा

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहां एक भी बच्चा न छूटे पढ़ाई के दायरे से और उद्योग प्रबंधन द्वारा उन बच्चों की पढ़ाई में अपना सहयोग दिया जावे। यहां के आसपास के गांव के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाये। ताकि वहां भी कुछ विकास हो और प्रशंसा करे कि हमारे यहां प्लांट खुला है तो हम खुश हैं। इस गांव में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। आप खासकर ध्यान देंगे कि यहां के लोगों को प्राथमिकता देते हुए आसपास के गांव के लोगों को रोजगार एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। यह खदान खुलना चाहिए। यहां के लोग आपके साथ हैं।

18. **श्री अमीलाल उरांव, सरपंच, बस्ती बाराद्वार** – हमारे ग्राम में प्लांट खुल रहा है यह बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मेरा अनुरोध है कि यह प्लांट खुलना चाहिए। और जो आसपास के गांव के बेरोजगार है उनको पहले रोजगार मिलना चाहिए।

19. **श्री विमल अग्रवाल, सक्ती**– मैं एक ही बात कहना चाहुंगा कि यहां पर मुख्य मार्ग से इस गावं तक पहुंचने की जो सड़क है उसे बहुत अच्छी ढंग से सबसे पहले बनवाई जाये। जिससे लोगों को एवं गांव वालों को और आप लोगों को आने जाने असुविधा न हो।

20. **श्री भरत लाल उरांव, ग्राम–बाराद्वार** – खदान खुलना चाहिए और हमें काम पर रखना चाहिए।

21. **श्री जयंत कुमार गुप्ता, ग्राम बाराद्वार बस्ती** – जन सुनवाई की कार्यक्रम में मैं अपना सुझाव रखना चाहुंगा कि उपरी सतह से लगता है कि यह हमें बहुत रोजगार देगा और हमारी सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ायेगा। लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। इससे प्रदूषण बढ़ेगा, हमारे ग्राम में मछली पालन किया जाता है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। लोग बाराद्वार बस्ती के निवासी हैं हम रोज बाराद्वार आते–जाते है तो हम रोज पास के क्रेशर से 50 ग्राम डस्ट

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

अपने अन्दर लेते हैं। यदि यह प्लांट खुलता है तो सोच लीजिए कितना ग्राम डस्ट हमारे शरीर में हम लेंगे। तो हमारे जीवन में आई आफत किस प्रकार की हो सकती हैं। मैं प्रस्तावित भिलाई स्टील प्लांट का पूरजोर एवं घोर विरोध करता हूँ।

22. **श्री रवि नारायण सिंह, ग्राम–ठठारी–** यहां 1200 एकड़ में जो प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको मालूम है कि तीन खदान यहां पर पहले से चल रहा है। यहां भिलाई स्टील प्लांट की योजना आने के बाद करीब 10–15 कि.मी. की दूरी पर पर्यावरण का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ेगा यह आने वाला समय में और भूमि में प्रदूषण फैलेगा। यहां पर कुछ लाभ जनता द्वारा बताया गया कि 150 टेकनिकल और 200 नान टेकनिकल लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर बहुत ही कम रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। पूर्व में यहां पर मैन्युअल लोगों से काम लिया जाता था। आज की मशीनी युग में ज्यादातर रोजगार के अवसर समाप्त हो जावेंगे। बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से लगभग 350 लोगों को ही रोजगार मिलेगा। बाकी लोग यहां पर सिर्फ प्रदूषण देखेंगे। हमारा पंडरिया जंगल का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि यहां पर भिलाई स्टील प्लांट का उद्योग लगना फायदेमंद है या नहीं। देश की विकास के लिए लोहा, स्लेग निकालना बहुत जरूरी है लोहे के बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। भिलाई स्टील प्लांट की अन्य खदान शायद समाप्ति की ओर है इसलिये ये खदान यहां पर खोला जा रहा है और जो भी खदान खुलेगा तो यहां के लोगों को समाप्ति की ओर ले जायेगा। इस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद रहता है कि यहां उनको रोजगार मिलेगा लेकिन यहां तो मशीन से उत्खनन किया जावेगा एवं मैन्युअली कार्य नहीं किया जावेगा तो यहां लोगों से कोई कार्य नहीं लिया जावेगा। यहां की स्थिति और भी खराब हो जावेगी।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

खदान शुरू करेंगे और भारी मशीनों के द्वारा उत्खनन करेंगे। जिसके लिए मैं कहना चाहुंगा कि खदान प्रबंधन कम से कम मशीनों का उपयोग करें, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले और यदि भारी मशीन का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेगा। लोगों को रोजगार नहीं मिल पायेगा, तो निश्चित रूप से उसका घोर विरोध होगा, जिसका परिणाम ठीक नहीं होगा। प्रदूषण होगा हमारे सांस्कृतिक परिस्थितियां बिगड़ जायेगी। यहां लोगो को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं होती है। यहां पर रेशम उ़द्योग को भी नुकसान होगा। यहां रेशम उद्योग को बचाने के बारे में सोंचे। जिससे लोगों की रोजी रोटी बनी रहे। दूसरी बात जब आप 1200 एकड़ में अपना काम शुरू करेंगे हजारों पेड़ कटेगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषित होगा। हम प्रकृति के साथ जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगें प्रकृति हमें माफ नहीं करेगा। इसके बाद हम विरोध करेंगे तो भी यहां प्रोजेक्ट खुल ही जायेगा। यहां पर बस्ती भी धीरे–धीरे समाप्त हो जावेगा। यहां केवल मशीनों का उपयोग कर उत्खनन किया जावेगा। लोगों को रोजगार नहीं मिल पायेगा। उनके रोजगार को ध्यान में रखना होगा। यदि लोगों के हित को ध्यान में नहीं रखा जावेगा तो निश्चित रूप से भिलाई स्टील प्लांट का विरोध होगा । अनुरोध है कि कम से कम 500 लोगों को रोजगार दिया जावे। दूसरी बात जो अन्य उद्योग उनका विकल्प लेना पड़ेगा। यदि पंडरिया में अपना प्रोजेक्ट खोल रहे है तो आसपास के लगभग 10 कि.मी. के क्षेत्र वासियों को रोजगार दिया जावे। पेड़ पौधे के बारे में आपको बहुत चिंतापूर्वक ध्यान रखना चाहिए। व्यापक रूप से पेड़ पौधे जितना चाहें उतना लगायें। जहां भी आपको खाली जमीन दिखता है वहां पर खदान प्रबंधन के द्वारा पेड़ पौधे लगाये जावें। न तो हम उद्योग का विरोध कर रहे है न ही समर्थन कर रहें है। इसके बावजूद भी यह प्लांट खुल ही जायेगा। खदान को धीरे धीरे आगे

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

बढ़ाये तभी आपको समर्थन मिलेगा अन्यथा विरोध होगा। यहां पर जंगल के अस्तित्व को बचाईये, अधिक से अधिक पेड़ लगाईये। पर्यावरण संतुलन को बनाये रखिए एवं स्थानीय लोगों एवं नवयुवको को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जावे तथा रेशम उद्योग सुरक्षित रहे इसका ख्याल रखें।

23. **श्री संतजी बिहारी लाल, ग्राम–बस्ती बाराद्वार** – प्लांट खुलने पर आप लोगों के विरोध में हैं हम लोग तब तक हैं जब तक पूर्व में जो कार्य करते रहे नागरिकों को उनकी मुआवजा भी नहीं मिले हैं और फिर अब बेरोजगार हैं। जमीन को देने से इंकार नहीं कर रहे हैं आपको लेकिन शर्त ये है कि ये जो हमारे चारों गांव के जितने नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्य किये जाये उन्हीं को नौकरी पर रखा जाये, तब ये विरोध नहीं करेंगे, हमारे पंडरिया गांव के 500–700 लोग कोषाबाड़ी में काम करते हैं गरीब है। इनका यहां जमीन एवं निवास स्थान भी हैं । कुछ किसानों का इस जमीन से भरण पोषण होते जा रहे हैं। बाराद्वार बस्ती के पशुपालन की व्यवस्था इसी वन से प्राप्त होती है और डूमरपारा और ठठारी के जितने नागरिक हैं उनसे मैं अनुरोध करता कि इन शर्तों को मंजूर करने की दया करेंगे। इन्हीं को इस प्लांट में रोजगार और शासकीय नौकरी मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आप करेंगे तो विरोध नहीं होंगे। खदान खुले यहां अनेक प्रकार की विकास हो, सभी नागरिकों के लिए सुविधा हो स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास के साथ पर्यावरण इत्यादि की संरक्षण हो इसके संबंध में लिखा पढ़ी जनता के बीच में हो।

24. **श्री मंगलू राम पाटले, ग्राम–छितापंडरिया** – भिलाई स्टील प्लांट वालों का कहना है कि यहां कुल 345 लोगों को काम पर रखेंगे। वो किस किस काम में रखेंगे और क्या क्या योगदान देंगे और 345 लोग कहां के रहेंगे इसका हमकों यहीं जवाब चाहिए। खदान प्रबंधन द्वारा बताये जाये कि मात्र 345 लोगों के द्वारा

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

खदान चलेगा या ज्यादा में चलेगा। यदि 345 लोगों के द्वारा खदान चल जायेगा तो यहां के 3000 से 4000 मजदूर कहां जायेंगे और इन 345 लोग यहां कहां से लायेंगे और कौन काम करेगा यहां आकर विचार व्यक्त करके गांव वालों को संबोधित करें। और बतायें कि कौन–कौन लोग किन–किन पद में रखे जायेंगे।

25. **श्री जीवन सिंह मरावी, वन प्रबंधन अध्यक्ष, ग्राम पंचायत छितापंडरिया**– कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि गांव वालों का कहना है कि सचिव महोदय को दो शब्द बोलने का अनुमति दे। पर्यावरण के बारे सुझाव सचिव महोदय दे सकते हैं।

26. **श्री सीताराम चौहान, ग्राम–छितापंडरिया**– भिलाई स्टील प्लांट जैसे कंपनी हमारे यहां आ रही हैं ये हमारी गौरव की बात है। रहा सवाल बहुत लोगो से सुना हूं कि प्रदूषण–प्रदूषण होगा तो यहां पर बहुत से माईनिंग कार्य चल रहें हैं उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा है तो भिलाई स्टील द्वारा थोडे ही होगा ? खुलना चाहिए और हमारे आने वाला युवा बच्चों को रोजगार मिलेगा। हम सब लोगों को रोजगार मिलेगा ये और अच्छी बात है हमारा समर्थन है। भिलाई स्टील प्लांट यहां आकर माईनिंग कार्य करें ।

अपर कलेक्टर श्री एस. के. शर्मा, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के पूर्व निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को **प्रस्तावित इस्पात डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया– 523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. के स्थापना के** संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं है एवं लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 31.07.2013 को कुल **09** लिखित रूप से आवेदन प्राप्त हुये है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग **500** जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से **26** व्यक्तियों द्वारा **प्रस्तावित इस्पात**

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

डोलोमाईट क्वेरी (बाराद्वार माईनिंग लीज एरिया– 523.35 हेक्टे.) क्षमता 2 एम.टी.पी.ए. की स्थापना के संबंध में मौखिक रूप से सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से **136** लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई है।

दिनांक 31.07.2013 को लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जन समुदाय, माइंस प्रबंधन, जनप्रतिनिधि तथा मीडिया को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की गई।

(बी. एस. ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com